

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 75/2023

प्रार्थीगण :-

1. सवाराम पुत्र नैनाराम,
2. धींगडराम पुत्र नैनाराम जातियान मेघवाल निवासी -अम्बेडकर नगर,
साजियाली पदमसिंह, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. मेहराराम पुत्र पुराराम मेघवाल
2. अन्तरोदेवी पुत्री केशाराम पत्नी जोगाराम
3. अशोक कुमार पुत्र गेनाराम
4. ओमप्रकाश पुत्र गेनाराम
5. निहाल पुत्र गेनाराम
6. सुरेश पुत्र गेनाराम
7. कमलेश पुत्र डायाराम
8. पुजा पुत्री डायाराम
9. संगीता पुत्री डायाराम जातियान मेघवाल, निवासी अम्बेडकर
नगर, साजियाली पदमसिंह।
10. अणदाराम पुत्र शिवलाल
11. कल्लाराम पुत्र प्रभूराम
12. बालूराम पुत्र मेहाराम
13. घेवरराम पुत्र रणछाराम
14. पीराराम पुत्र रणछाराम



उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा
15. शंकरराम पुत्र रणछाराम सभी जातियान राईका निवासीयान
-अम्बेडकर नगर

16. सरपंच ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह

17. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बाडमेर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व

नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :-

1. श्री रूघाराम कड़वासरा , प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 17 एक पक्षीय

'आदेश'

दिनांक :- 5.7.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा अम्बेडकर नगर, पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली पदमसिंह , तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 293/273 क्षेत्रफल 7.8994 हेक्टेयर में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।



प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया, विप्रार्थीगण बावजूद अनुपस्थित। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को


उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

11.12

दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा अम्बेडकर नगर, पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 293/273 क्षेत्रफल 7.8994 हेक्टेयर आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि बगीया चारणान, पटवार हल्का रिछोली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 16 क्षेत्रफल 3.3022 हेक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे



हमने वकील प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि मौजा अम्बेडकर नगर, पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 293/273 क्षेत्रफल 7.8994 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079-2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है। विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।


उप-खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा अम्बेडकर नगर, पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 293/273 क्षेत्रफल 7.8994 हेक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरर कर की जावे कमिश्नर फीस 1500/- प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।



(विवेक व्यास)

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(अभिलेख) बालोतरा

आज दिनांक 05.07.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विवेक व्यास)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा